न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

करण संख्या 247/2022

श्रीमती सरबती पत्नी श्यामलाल, जाति जाट, निवासी मारीगसर, तहसील व जिला झंझुनूं।

——आवेदक

बनाम

1. श्री शेलैष खेरवा, उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं।
2. सुनिता पत्नी दिनेश कुमार, जाति जाट, निवासी नयासर झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. रोशनी पत्नी अखिल कुमार, जाति जाट, निवासी नयासर झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. उप पंजीयक झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनूं।
6. सेन्ट्रल बैक ऑफ इंडिया शाखा झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. आई.डी.बी.आई. बैक शाखा झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।

—— अनावेदक

— — —

प्रार्थना पत्र बाबत स्थानान्तरण किये जाने मुकदमा

— — —

उपस्थितः—

1. श्री विजयपाल सिंह, अभिभाषक— आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री शिवनारायण सिंह, अभिभाषक— अनावेदक सं0 2 व 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— अनावेदक सं0 1, 4 व 5 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं0 6 व 7 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 22.09.2022

आवेदिका की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं की अदालत में एक दावा उनवानी श्रीमती सुनिता वगैरह बनाम श्रीमती सरबती वगैरह मु0न0 149/17 तारीख पेशी 12.07.2022 लम्बित है। उक्त दावा में आवेदिका प्रतिवादी संख्या 1 व अनावेदिका 2 व 3 वादीगण व शेष अनावेदक संख्या 4 से 7 बतौर प्रतिवादी संख्या 2 से 5 पक्षकार है। अदालत मातहत ने उपरोक्त दावा को निर्णित कर दिनांक 07.03.2022 को प्राथमिक डिक्री किया। प्राथमिक डिक्री की पालना में अदालत मातहत के यहां विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए जिस पर आवेदिका ने दिनांक 27.06.2022 को लिखित में विभाजन प्रस्ताव पर ऐतराज प्रस्तुत किया। दिनांक 27.06.2022 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.07.2022 को नियत की गई। दिनांक 01.07.2022 को अनावेदिका संख्या 1 व 2 ने प्रस्तुत एतराज का जवाब पेश किया जिसकी नकल आवेदिका को 11.07.2022 को प्राप्त हुई। दिनांक 10.07.2022 को अनावेदिका संख्या 1 व 2 ने आवेदिका व उसके पुत्र को रास्ते में खड़े होकर यह [illegible] अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी श्री शैलेष खैरवा से बात हो गई है और कल दिनांक 11.07.2022 को आप द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एतराज को खारिज कर उनके हक में निर्णय हो जायगा [illegible] दिनांक 11.07.2022 को आवेदिका के अधिवक्ता श्री विजयपाल ने दीगर अदालती [illegible] की तारीख [illegible] की मांग की तो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि आज [illegible] और प्रकरण की सुनवाई [illegible] नियमित स्थगित करने से मना कर दिया। आवेदिका के अधिवक्ता ने अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से यह कहा कि उन्हे आज राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर की अदालत में अन्य अर्जेन्ट मुकदमों की बहस के लिए जाना बहुत जरूरी है तो पीठासीन अधिकारी ने आग—बबूला होकर खुली अदालत में यह कहा कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

र की मां कब तक खैर मनायेगी, कल की तारीख तय करता हूं, कल बहस कर देना वरना मै हर सूरत निर्णय कर दूंगा और तारीख पेशी दिनांक 12.07.2022 की तय कर दी तथा निवेदन करने के उपरान्त भी के अधिवक्ता की एक भी नही सुनी गई। अनावेदिका संख्या 3 रोशनी व उसका पुत्र दिनांक 11.07.2022 अदालत हाजा मे उपस्थित थे और उपर वर्णित बातों को लेकर कोर्ट कक्ष के बाहर आकर उक्त ावेदिका संख्या 3 व उसके पुत्र ने पुनः आवेदिका के पुत्र को हंस कर यह कहा कि आज तो तारीख ो हो गई कल हर हाल में हमारे पक्ष में फैसला करवा लिया जावेगा। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी के वहार से आवेदिका को पूर्ण आभास हो गया है कि अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी विपक्षी संख्या अनावेदिका संख्या 2 व 3 से मिले हुए है और उनके प्रभाव में है और ऐसी स्थिति में आवेदिका कों पक्षी संख्या 1 से न्याय की उम्मीद नही है। अतः दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ावेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अनावेदक सं0 1 की अदालत में लम्बित दावा सं0 49/17 उनवानी श्रीमती सुनिता वगैरह बनाम श्रीमती सरबती वगैरह तारीख पेशी 12.07.2022 को सुनवाई तु झुंझुनूं जिले की अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन गवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं ने पत्रांक 64 दिनांक 25.07.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि बिन्दू सं0 1 कानूनी है। प्रकरण संख्या 149/2017 उनवानी सुनिता वगैरह बनाम सरबती वगैरह मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.08.2022 नियत है। बिन्दू सं0 2, 4 व 5 कानूनी है। बिन्दू सं0 3 मनगढन्त व निराधार है। अतः बिन्दुवार टिप्पणी प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि श्रीमती सुनिता वगैरह बनाम श्रीमती सरबती वगैरह मु0न0 149/17 तारीख पेशी 12.07.2022 लम्बित है। उक्त दावा में आवेदिका प्रतिवादी संख्या 1 व अनावेदिका 2 व 3 वादीगण व शेष अनावेदक संख्या 4 से 7 बतौर प्रतिवादी संख्या 2 से 5 पक्षकार है। अदालत मातहत ने उपरोक्त दावा को निर्णित कर दिनांक 07.03.2022 को प्राथमिक डिक्री किया। प्राथमिक डिक्री की पालना में अदालत मातहत के यहां विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए जिस पर आवेदिका ने दिनांक 27.06.2022 को लिखित में विभाजन प्रस्ताव पर ऐतराज प्रस्तुत किया। दिनांक 10.07.2022 को अनावेदिका संख्या 1 व 2 ने आवेदिका व उसके पुत्र को रास्ते में खडे होकर यह कहा कि हमारी अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी श्री शैलेष खैरवा से बात हो गई है और कल दिनांक 11.07.2022 को आप द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एतराज को खारिज कर उनके हक में निर्णय हो जायेगा। दिनांक 11.07.2022 को आवेदिका के अधिवक्ता श्री विजयपाल ने दीगर अदालती कार्यो में व्यस्थता के कारण एक हफ्ते की तारीख पेशी की मांग की तो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि आज ही बहस करनी पड़ेगी और प्रकरण की सुनवाई को नियमित स्थिगित करने से मना कर दिया। आवेदिका के अधिवक्ता ने अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से यह कहा कि उन्हे आज राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर की अदालत में अन्य अर्जेन्ट मुकदमों की बहस के लिए जाना बहुत जरूरी है तो पीठासीन अधिकारी ने आग बबूला होकर खुली अदालत में यह कहा कि बकरे की मां कब तक खैर मनायेगी, कल की तारीख तय करता हूं। [illegible] कर देना वरना मै हर सूरत में निर्णय कर दूंगा और तारीख पेशी दिनांक 12.07.2022 की तय [illegible] दी [illegible] निवेदन करने के उपरान्त भी उसके अधिवक्ता की एक भी नही सुनी गई। प्रार्थी को अदालत मा[illegible] के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नही है। पीठासीन अधिकारी का प्रार्थि[illegible] है। अतः आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अनावेदक सं0 1 की अदालत [illegible] दावा सं0 149/17 उनवानी श्रीमती सुनिता वगैरह बनाम श्रीमती सरबती वगैरह तारीख पेशी 12.07.2022 को सुनवाई हेतु झुंझुनूं जिले की अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अप्रार्थी सं0 6 व 7 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 6 व 7 के विरूद्व एकतरफा स सुनी गई।

वकील अनावेदक सं0 2 व 3 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि ठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप झूठे है। वकील प्रार्थी अदालत मातहत मे पेशी के दौरान स्थित नही थे, जयपुर चले गये थे। वकील प्रार्थी का मात्र नजदीक तारीख पेशी देने का ही अदालत तहत के पीठासीन अधिकारी पर आरोप है। वकील प्रार्थी ने नकल इसलिए नही ली, क्योंकि ये जयपुर ले गये थे। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप काल्पनिक है। अतः वकील र्थी का यह प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1, 4 व 5 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा र्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है। फेर भी आवेदक यदि उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो, इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुकदमा संख्या 149/2017 उनवानी श्रीमती सुनिता वगैरह बनाम सरबती वगैरह किस्म मुकदमा दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं से न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), झुंझुनूं के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं मुकदमा संख्या 149/2017 उनवानी श्रीमती सुनिता वगैरह बनाम सरबती वगैरह किस्म मुकदमा दावा को न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), झुंझुनूं को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। प्रार्थी सुनवाई हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), झुंझुनूं के न्यायालय में दिनांक 10.10.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.18 10:41:07 IST
Reason: SelfAttested